78/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	~~[illegible] न्यायालय की पत्रावली~~ ~~मूल [illegible] पत्रावली मिलान 16/7/2020~~ ~~को पेश हो~~	
16/7/2020	~~पत्रावली पेश [illegible] पत्रावली मिलान~~ ~~आदेश की पालना [illegible]~~ ~~29/7/2020 को पेश हो~~	
27/7/2020	पत्रावली अपीलांट वकील द्वारा दि. 21/7/2020 को आवश्यक सुनवाई के आवेदन पर दिनांक 23/7/2020 को स्वीकार कर आगामी तारीख 27/7/2020 प्रदान करने के फलस्वरूप आज पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित। अपील प्रकरण में उभय पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। यह अपील प्राथमिक डिक्री दि. 23.5.2018 के विरुद्ध पेश हुई। धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के उभय पक्ष को भी सुना। न्यायहित में एवं मद्देनजर मामले का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना श्रेयस्कर मानते हुए आवेदन स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट का कथन है कि मामले में अपीलाधीन आदेश सही नहीं है तथा न्याय आपके द्वारा अभिभाषक में बिना रजामंदी P.T.O	

[illegible] अपील प्राधिकारी जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/7/2020	प्राथमिक डिक्री / निर्णय किया गया है। अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त होने से निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेंट ने (प्रत्यर्थी सं.1) ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया। उन्होंने मामले में बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता लादूसिंह तथा प्रत्यर्थी सं02 आलमसिंह दोनो सगे भाईयो की ½-½ हिस्सा की थी और वर्ष 1990 में दोनो ने आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर जरिये इकरार बंटवारा करा लिया था जिसके फलस्वरूप नामांतरकरण सं० 515 ग्राम लोहावट बी.बी. भरा जाकर ख.नं. 264/274 रकबा 38-19 बीघा (आधा हिस्सा) लादूसिंह की खातेदारी में तथा शेष आधी भूमि लादूसिंह व आलमसिंह की खातेदारी में तथा शेष आधी भूमि लादूसिंह व आलमसिंह की खातेदारी में दर्ज हो गई तब से दोनो भाई-2 पृथक-2 खसरों के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। जमाबंदी में तो खाते पृथक हो गए परन्तु राजस्व नक्शा में तरमीम पृथक दर्शायी नहीं जा सकी। मौके पर तब से अपने-2 हिस्से में स्थित भू-भाग पर लगातार कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। तरमीम के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के पिता लाधूसिंह ने एक दावा सं० 371/2019 किया और इसी के मामले में उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देकर लोक अदालत केम्प में प्राथमिक डिक्री जारी की जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में बंटवारे का तथ्य राजस्व अभिलेख अनुसार सही है। अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री / आदेश भी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही जारी हुआ है। उभय पक्ष के आधे-2 हिस्से, जो कि पूर्व से ही जमाबंदी में दर्ज हैं अतः अपीलाधीन आदेश के संबंध में हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है इसलिए प्राथमिक डिक्री / निर्णय P.J.O [signature]	

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। मामले में अंतिम डिक्री भी जारी हो चुकी है इसलिए अंतिम डिक्री/निर्णय की भी न्यायालय हाजा में अपील सं० 79/2020 की जा चुकी है जिसमें काब्जे काश्त के मुताबिक विभाजन का परीक्षण होकर निर्णय होना है। इसी विवेचन के आलोक में प्राथमिक डिक्री। निर्णय दि. 23.5.2018 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। आलोच्य डिक्री। निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है अतः इसे यथावत रखा जाता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2020.07.28 13:55:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: